

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. समीक्षा याचिका (रिट) संख्या 51/2024

पुख राज गुर्जर पुत्र श्री नाथू लाल गुर्जर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम भटपुरा, पो. निलोग वाया बांदीकुई, तहसील बसवा जिला दौसा, सी.बी.आई में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु चयनित।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, महानिदेशक, भारत सरकार के माध्यम से, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रशासन प्रभाग, ब्लॉक संख्या 3, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003।
- आर. के. शर्मा, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रशासन प्रभाग, ब्लॉक नंबर 3, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली 110003।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ जयपुर।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री राकेश कुमार शर्मा

उत्तरदाता(ओं) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति शुभा मेहता

आदेश

14/02/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

- समीक्षा याचिका के साथ 3078 दिनों की देरी को माफ करने का आवेदन संलग्न है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') के समक्ष दायर मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओए') 28.01.2002 को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका 03.07.2015 को खारिज कर दी गई थी। परिचालनात्मक भाग नीचे उद्धृत है:-

“मामले के सम्पूर्ण रिकार्ड तथा न्यायाधिकरण के दिनांक 28.01.2002 के आदेश में उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात्, हमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसके लिए 15 वर्ष बीत जाने के बाद 2001 की चयन प्रक्रिया के संबंध में हमें बाद में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो।

परिणामस्वरूप, तत्काल याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।”

3. अब वर्ष 2024 में आवेदन के साथ समीक्षा याचिका दायर की जाएगी।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने एर्नाकुलम पीठ द्वारा पारित न्यायाधिकरण के निर्णय पर भरोसा करते हुए ओए को खारिज कर दिया और उस आदेश को वर्ष 2003 में केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरदाता से यह अभ्यावेदन कर रहे थे कि उन्हें केरल उच्च न्यायालय में सफल हुए अभ्यर्थियों के समान माना जाए, इसलिए देरी हुई।
5. रिट याचिका 2015 में खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देने का फैसला किया और इस पर कोई फैसला नहीं लिया।
6. विलंब क्षमा के आवेदन में, प्रस्तुत अभ्यावेदनों का कोई विवरण नहीं दिया गया है और न ही कोई तिथि बताई गई है। अन्यथा भी, अभ्यावेदन दाखिल करने मात्र से ही उपचार प्राप्त करने की समय-सीमा नहीं बढ़ेगी।
7. ओरिएंटल एरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और अन्य (2010 में रिपोर्ट) (5) एससीसी 459 में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। परिसीमा कानून लोक नीति पर आधारित है। विधायिका पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य से परिसीमा कानून निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे विलम्बकारी हथकंडे न अपनाएँ और बिना विलम्ब के उपाय प्राप्त करें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परिसीमा कानून एक अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी क्षति के निवारण के लिए कानूनी उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, न्यायालयों को विलंब को क्षमा करने का अधिकार भी प्राप्त है, यदि निर्धारित समय के भीतर उपाय का लाभ न उठाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और इसी प्रकार के अन्य कानूनों में प्रयुक्त “पर्याप्त कारण” शब्द इतना लचीला है कि न्यायालय कानून को सार्थक तरीके से लागू कर सकें जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यद्यपि, विलंब क्षमा के आवेदनों पर विचार करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इस न्यायालय ने विलंब क्षमा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने की उचित रूप से वकालत की है। अल्प अवधि की देरी और जहां देरी अत्यधिक हो वहां सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।’

[जोर]

8. इसके अलावा, पुंडलिक जालम पाटिल (डी) बनाम एग्ज़ेक्यूटिव इंजीनियर जलगाँव मीडियम प्रोजेक्ट व अन्य, 2008 (17) एससीसी 448 में सर्वोच्च न्यायालय ने

निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना उसका कर्तव्य था, जो उसने नहीं किया। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य लंबे समय तक अपील दायर करने के अपने अधिकार की उपेक्षा का संकेत देते हैं। न्यायालय समता के आधार पर विलम्बित और पुराने दावों की जाँच नहीं कर सकता। देरी समता को पराजित करती है। न्यायालय उन लोगों की मदद करता है जो सतर्क रहते हैं और 'अपने अधिकारों को लेकर सुस्त नहीं रहते।'"

9. पर्याप्त कारण के अभाव में विलंब को यंत्रवत् क्षमा नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए कि 3000 दिनों से अधिक का अत्यधिक विलंब हुआ है और क्षमा आवेदन में स्वीकार करने योग्य कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विलंब को क्षमा करने का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप, पुनर्विचार याचिका समयबाधित होने के कारण खारिज की जाती है।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत/65

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate